





170 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

| | |
|----------------------------|--------------|
| प्रतिफल की वसूली | ₹ 5,05,000/- |
| अन्य वसूली | ₹ 5,00,000/- |
| नकद वसूली | ₹ 5,000/- |
| माहि २२ | ₹ 5,89,250/- |
| अन्य क्रिये मय लागत (रुपय) | ₹ 40,000/- |
| 1. मूल्य का अंतर | - कृपे |
| 2. प्रमाण | - रिजनीर |



भारतीय नैतिकता

INDIA NON JUDICIAL

₹ 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 331107

12 FEB 2011

- 2 -

- 3. आग - बरीला
- 4. समिति का निवेदन - श्री चन्द्रा सह्या 0258 सगला
0258 हेक्टर का विषय आग - बरीला, परगना - बिचौर, ताहसील
ब. जिला सतना।
- 5. मापन की इकाई - हेक्टर
- 6. समिति का क्षेत्रफल - 0258 हेक्टर
- 7. सड़क की स्थिति - सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से
अधिक दूर
- 8. समिति का प्रकार - कृषि



भारतीय नैऋत्यादि INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 331190
12/11/2011

-3-

पेजों की रिपोर्ट कोड पेज नहीं है।

दोरिंग/ कुर्सी अन्य- कुर्सी भी नहीं है।

सीलिंग की संख्या नं० 625/8

- संख्या नं० 483, 482
- संख्या नं० 625, 628
- संख्या नं० 655, 656, 656
- संख्या नं० 657, 657, 658



भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 337121

प्रथम पक्ष की संख्या—

द्वितीय पक्ष की संख्या—

प्रथम पक्ष का विवरण

द्वितीय पक्ष का विवरण


मोहन मुन. बलदेव निवासी—
ग्राम बहीना परगना विजनीर,
महसील व जिला लखनऊ।

सुरेन्द्र गुनार मुन. राजाराम
निवासी ग्राम— पूरे निरी,
किर्तीली, जिला रायबरेली

श्रावणमास— २७

वसवसाय— कृषि

इस पक्ष दिवस अदालत का मोहन मुन. बलदेव निवासी ग्राम बहीना परगना विजनीर, महसील व जिला लखनऊ विरुद्ध सुरेन्द्र गुनार मुन. राजाराम निवासी ग्राम— पूरे निरी, किर्तीली, जिला रायबरेली



प्रथम पक्ष कहा गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विवेक-
एतदाधिकारी, वारिसों एवं निष्ठादक्षक सम्मिलित हैं।

-एकम

सुरेन्द्र कुमार मुन राजाराम निवासी ग्राम- पूरे निधी, किलोली,
जिल्हा नागपुरेही जिल्हा जोगे द्वितीय पक्ष कहा गया है जिसके
अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विवेक-एतदाधिकारी, वारिसों एवं
निष्ठादक्षक सम्मिलित हैं। सं गव्य निष्ठादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि संख्या 8258 रकबा 0.269
हालांकि रिजवा राफ, बरीना, मन्पना निवासी तहसील च
बिला तखतक का मालिक, कर्मिल व कावेज है तथा उपरोक्त
उपरोक्त पट्टाधिकार प्राप्त अतीनी संख्या 0850 के अनुसार भूमि
प्रथम पक्ष के नाम परकस्य अगेलसों में बतौर असाकामीय भूमि
कहा है प्रथम पक्ष अपना शर्भुर्भ द्वितीय पक्ष को इस
दिकय अनुभव पर द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त
सम्पत्ति भूमि के मालिक, कर्मिल व कावेज है एवं वर्तमान समय
में उपक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित
करता है कि उपरोक्त उचित भूमि सभी प्रकार के मारों से मुक्त
एवं फल व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने इस इस विक्रय के पूर्व
कही गया शिक्षा, गिरवी या गानुप्रदित इत्यादि नहीं किया है।
प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि उद्यम या अन्य प्रकार का कोई
कार्य नहीं लिया है व यदि कोई ऐसा उद्यम भविष्य में निकलता है
तो उसके विवेचार प्रथम पक्ष या उसके वारिसों व विवेक
एतदाधिकारी द्वारा उपरोक्त भूमि या उक्त कोई भाग किसी
व्यापारिक या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु
निश्चय नहीं है, न ही कुछ हस्त दे है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त
भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं

दिनांक

है, यह प्रथम पक्ष को स्वतंत्र अनुसूची करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संदर्भ उपरोक्त समिति के फलस्वरूप हुए विवाद मूल्य रु० 5,05,000/- (रु० पाँच लाख पाँच हजार मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमें से बतौर अंतिम पारसगि रु० 5,00,000/- (रु० पाँच लाख मात्र) धन पक्ष से प्राप्त कर लिया है जिसका सम्बंधित द्वितीय पक्ष द्वारा परम अद को इस बिलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है पर जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष सही स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष द्वारा अधिकारी से सम्बन्धित सुनिश्चर करने करना कर द्वितीय पक्ष से पक्ष में संक्रमणीय सुनिश्चर प्रेषित होने के बाद तथा प्रथम अधिकारी से अनुमति लेकर अनुमति प्राप्त होने के तीन महीने के अन्तर द्वितीय पक्ष को पक्ष से विक्रय बिलेख अथवा निष्पादित कर देना तथा कोई भी हस्ताक्षर या इत्यादि नहीं करेगा तथा शेष अंशका पारसगि रु० 5,000/- (रु० पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करने विक्रय बिलेख अथवा निष्पादित कर देना तथा कोई भी हस्ताक्षर या महानिवाजी नहीं करेगा। ऐसी किली भी अंशका की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरूर आवश्यक विक्रय बिलेख निष्पादित करेगा।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादाधीन रूपेण कर दिया इस अनुसूची पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब उक्त आशुजी कर प्रथम पक्ष तथा उसके अधिसारक को कोई अधिकार नहीं है।

यदि विक्रयबिलेख सम्बन्धि अथवा कोई भी पक्ष प्रथम पक्ष के स्वामित्व में हुए हुए कारण या कानूनी अडबटन या कानूनी मुद्दे के कारण द्वितीय पक्ष को स्वतंत्र पारिसान निष्पादक इत्यादि से रुपये का अधिकार या रुक से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके



निर्देशानुसार निष्पादनकाल इत्यादि का यह हवा होगा कि यह अपने
समस्त सुख्याल का इलाका खर्चा 2990 पत्र की बात सफल
सम्पत्ति से करिये अदायत करुण कर लें। इस स्थिति में प्रथम
पत्र एवं उसके करिये का हर्जा व खर्चा देने हेतु राह्य होगा।

यह कि प्रथम पत्र में जो शेरिन कस्ता है कि उक्त भूमि
सर्वजनिक विकास प्राधिकरण, सोलनक तथा 2040 अवाक एवं
विकस परिषद, लखनऊ तथा अन्य कियों की दरबारी अधिका की
सहायरी करण द्वारा अधिसादीत नहीं की गयी है और न ही
प्रस्तावित है। यह कि इस विषय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का उक्त
सर्वेक्षण किता तरह का यह इस सम्पत्ति पर होगा जो उसको
प्रथम पत्र प्रेषण व उक्त करिये, प्रथम पत्र को कोई आपत्ति न
होनी।

यह कि उपरोक्त उक्त नम्बर मान बरीना अधनगरीय क्षेत्र
को 1 मान मान के अन्तर्गत अता है इधलिए निर्धारित दरबिन्द
रु 20 2250.000/- प्रति हेक्टर के हिसाब से विहीत भूमि
0.263 हे० की मालियत रु 5.69.250/- होती है बूके विगत
गुल्द, भूमि की वास्तव गुल्द से कम है इधलिए नियमानुसार
आवाक गुल्द पर ही रु 40.000/- एतस्त अदायत किता
ज. उक्त है। प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र दोनों अनुसूचित जाति के
सदस्य हैं। इस विषय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त धन
द्वितीय पत्र द्वारा वहन किया गया है।

निर्देशानुसार यह विषय अनुबन्ध पत्र प्रथम पत्र में द्वितीय पत्र के
पत्र में दिया कियों कोर 10 हजार के स्थला विगत नम से समस्त
मन्दागत लिख दिया ताकि शान्त रहे और उक्त वास्तव पटने पर
काम रु 10।

Signature


Signature


100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000



100-100000-1000



वर्ष १९८४

श.सं. २५३

दि. २५/५/८४



Postcard No. 302
1911
The Great
Wall
at the Great Wall
out


Post
Card 301

Postcard




1st set of fingerprints - माहिती पुत्र बंधन निवासी - ग्राम - पदोना गणना विजनीर, ताहसील
मिना तालुका।

सर्वे हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -



माहिती हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -



पुणे जिल्हा, ताहसील


द्वितीय वरत का हाथ व चिन्ह - सुबोध कुमार पुत्र राजाकाश निवासी राम - पुणे जिल्हा, किलोली,
जिल्हा तालुका।

प्रथम वरत के हाथकाश

सर्वे हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -



माहिती हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -



पुणे जिल्हा, ताहसील



कार्य दिनांक 18/03/2011 से
पृष्ठ सं 1 दिनांक 12533
पृष्ठ सं 1 & 20 का अंक 3620
संशोधित किया गया।

संशोधित करने वाले का नाम



पी. के. शिवदास

सह निदेशक (शिक्षण)

लखनऊ

18/03/2011

